बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री सत्येन्द्र कुमार, तत्कालीन नियोजन पदाधिकारी, सिवान एवं तत्कालीन नियोजन पदाधिकारी, रामगढ़ सम्प्रति निलंबित मुख्यालय निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना जब जिला नियोजन पदाधिकारी, रामगढ़ के रूप में पदस्थापित थे तो उनपर 16 बेरोजगार युवकों से नौकरी के नाम पर रू0– 1,21,500/– (एक लाख इक्कीस हजार पाँच सौ रूपये) की रिश्वत लेने, जालसाजी करने, दिनांक– 22.10.91 से 03.12.91 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, निलम्बन की अवधि में निर्धारित मुख्यालय, हजारीबाग में 5 (पाँच) माह तक योगदान न देने, जाँच के लिए उपस्थित रहने के आदेश के बाबजूद अनुपस्थित रहने जैसे गम्भीर आरोप के लिए प्रपत्र "क" (आरोप पत्र) गठित किये गए एवं विभागीय संकल्प संख्या– 3491 दिनांक– 6.10.99 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जिसमें श्री रंजीत कुमार सिन्हा, प्रभारी उप निदेशक (मुख्यालय), पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । संचालन पदाधिकारी के सेवा निवृत हो जाने के पश्चात् विभागीय संकल्प संख्या– 1522 दिनांक– 02.8.2004 द्वारा श्री आर0 के0 खण्डेलवाल, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा उनके स्थानान्तरण के पश्चात् विभागीय संकल्प संख्या– 2418 दिनांक– 26.10.2005 के द्वारा श्री बाल्मीकि प्रसाद, संयुक्त निदेशक, नियोजन को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. जाँच पदाधिकारी ने उनके विरूद्ध लगाये गए 6 आरोपों में से आरोप सं0– 1, 2, 3, 4 एवं 6 को प्रमाणित पाया तथा आरोप सं0– 5 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया ।

3. उक्त आरोपों के संबंध में श्री कुमार से द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी, किन्तु उन्होंने कई स्मारों के बाबजूद जबाब नहीं दिया तो बाध्य होकर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई, उसके बाद ही उन्होंने जबाब दिया जो असंतोषजनक पाया गया ।

4. श्री कुमार का स्थानान्तरण जब रामगढ़ से जिला नियोजन पदाधिकारी, सिवान के रूप में किया गया तो उनके विरूद्ध 8 (आठ) आरोप गठित किये गए । जिनमें कोषागार से 48,884/– रूपये की निकासी कर अपने निजी एकाउन्ट में जमा करने की अनियमितता भी शामिल है (बाद में जब उक्त मामला उजागर हुआ तो उक्त राशि को उन्होंने चालान से राजकोष में जमा किया) । व्यावसायिक परीक्षा में पर्यवेक्षकीय कार्य के लिए वे निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए और अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, निर्धारित प्रशिक्षण में वह भाग नहीं लिए । इस आरोपों के लिए भी विभागीय संकल्प संख्या– 1586 दिनांक– 19.6.2009 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जिसमें जाँच पदाधिकारी ने उनके विरूद्ध लगाये गए आठ आरोपों में से आरोप सं0– 1, 2, 3, 5 एवं 6 को प्रमाणित पाया ।

5. श्री कुमार से द्वितीय कारण–पृच्छा माँगी गई । श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा से संबंधित स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त असंतोषजनक पाया गया ।

6. श्री कुमार को उक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने का औपबंधिक निर्णय माननीय मुख्य मंत्री द्वारा लिया गया ।

7. इस संबंध में विभागीय पत्रांक– 2527 दिनांक– 24.7.2013 के द्वारा उक्त दोनों मामलों में समेकित रूप से बिहार लोक सेवा आयोग से अभिमत की माँग की गयी । तत्पश्चात् बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना मंतव्य पत्रांक– 1423 दिनांक– 27.9.2013 के द्वारा श्रम संसाधन विभाग को दिया । आयोग ने संक्षिप्त रूप में अपना अभिमत दिया है कि "उपर्युक्त आरोपों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दण्ड अनुपातिक नहीं है । अतः आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करता है ।"

8. बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रस्तावित दण्ड को आनुपातिक नहीं होने और प्रस्तावित दण्ड से असहमति व्यक्त करने का विस्तृत एवं आत्मभारित कारण नहीं दिया है, जबकि श्री सत्येन्द्र कुमार के विरूद्ध दोनों विभागीय कार्यवाहियों में कई गम्भीर आरोप प्रमाणित पाये गए हैं ।

9. अतएव मामले की पूर्ण समीक्षोपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग का बिना ठोस कारण और आधार बताए असहमति का प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए श्री सत्येन्द्र कुमार के विरूद्ध दोनों विभागीय कार्यवाहियों में कई गम्भीर आरोपों के प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–V की कंडिका– 14 (xi) में निहित प्रावधान के आलोक में उन्हें सेवा से बर्खास्त (dismiss) करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

10. प्रस्ताव में माननीय मुख्य मंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री सत्येन्द्र कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति निलंबित तत्कालीन नियोजन पदाधिकारी, रामगढ़ वर्त्तमान मुख्यालय निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना को निबंधित डाक से उपलब्ध कराएँ ।

विवरणी :–

1. नामः– श्री सत्येन्द्र कुमार

2. पिता का नाम– स्व0 राम औतार सिंह

3. जन्म तिथि– 23.01.1954, सेवा में नियुक्ति– 7.3.86

4. बर्खास्तगी की तिथि– 15.10.2013

5. सेवा का नाम (श्रेणी)– बिहार नियोजन सेवा (श्रेणी– 2)

6. स्थायी पता– ग्राम– प्यारेपुर, थाना– गिरियक, जिला– नालन्दा

7. वर्त्तमान पता– सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, निदेशालय, पटना ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
15.10.13
(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 6015/2001 श्र0सं0– 3893 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना कों दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें ।

15.10.13
(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 6015/2001 श्र0सं0– 3893 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

15.10.13
(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 6015/2001 श्र0सं0– 3893 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

15.10.13
(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 6015/2001 श्र0सं0– 3893 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, सिवान/ गोपालगंज/ कोषागार पदाधिकारी, सिवान/ गोपालगंज/ पटना सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

15.10.13
(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 6015/2001 श्र0सं0–3893 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, झारखण्ड (राँची) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 6015/2001 श्र0सं0–3893 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– श्री सत्येन्द्र कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति निलंबित तत्कालीन नियोजन पदाधिकारी, रामगढ़ वर्त्तमान मुख्यालय निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 6015/2001 श्र0सं0–3893 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/ विशेष सचिव (श्री कुमार/ श्री राम)/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग/ प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय चारित्री/ प्रशाखा पदाधिकारी– 6 को 5 अतिरिक्त प्रति के साथ/ आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 6015/2001 श्र0सं0–3893 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी आयुक्त (प्रमण्डलीय आयुक्त सहित)/ पुलिस महानिदेशक/ सभी पुलिस महानिरीक्षक/ सभी पुलिस उप महानिरीक्षक/ सभी पुलिस अधीक्षक/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 6015/2001 श्र0सं0–3893 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य (श्रम संसाधन विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव